तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
गोकुल-चन्द लुहार बनाम सी०ओ०
11.09.2018 — बिस्क-915 न- 191/07

पत्रावली पेश हुई। वादी संख्या 01 व विपक्षी संख्या 09 नियत सुनवाई पर हाजिर। उभयपक्षों की और से नियुक्त अधिवक्ता बहस के दौरान हाजिर नही होने से बहस उभयपक्ष प्रस्तुतिकरण नही हो पाया। वादी संख्या 01 की और से प्रस्तुत पश्चातवृति प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. व साथ में प्रस्तुत संशोधित टाईटल का पुनः अध्ययन व परिक्षण किया गया, जो कि आदेशिका दिनांक 28.08.2018 से स्वीकार किया जा कर वादपत्र के मृतक पक्षकारान के बजाय उनके विधिक वारिसानो को रिकार्ड पर लिये जाने की आज्ञा पारित की जा चुकी है। परन्तु उपस्थित विपक्षी कम 09 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनवान व प्रार्थनापत्र धारा आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सीं पर आपत्ति/असम्मति व्यक्त करते हुए न्यायालय के समक्ष यह अवगत कराया कि संशोधित अनवान में अंकित मृतक वादी संख्या 02 सुखदेव लुहार के विधिक वारिसान के रूप में पुत्र खेमराज लुहार के अतिरिक्त चार जाईन्दा पुत्रीयां और भी है, जिन्हे वादी संख्या 01 ने अपने द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनवान व प्रार्थनापत्र धारा आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी में बतौर पक्षकार संयोजित नही कर प्रस्तुत किया है, तथा प्रस्तुत संशोधित अनवान अनुसार वादी संख्या 2/1 खेमराज लुहार की और से

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु न तो कोई अधिवक्ता नियुक्त किया गया एंव न ही स्वंय द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराई गई है। एंव दुसरी और सद्भाविक केता श्री मूंशी खां पिता जमाल खां पठान सा. माण्डल तहसील माण्डल, जिनके द्वारा विवादित भूमि में से सीता बैवा लादु, भैरू मोहन पिता लादु, कैलाश पिता लादु, मांगु देबी पिता नन्दा, चान्दी बैवा नन्दा के हक हिस्से में आ रही आराजीयात को क्रय किया गया होने से वादपत्र में आवश्यक पक्षकार की श्रैणी में आंते है, फिर भी वादी पक्ष ने श्री मूंशी खां को बतौर पक्षकार संयोजित नही कर संशोधित टाईटल दोषयुक्त प्रस्तुत किया गया है। एंव इसके अतिरिक्त वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित टाईटल के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि मृतक विपक्षी नन्दा लुहार की विरासत खुलकर विधिक वारिसान पूर्व में ही रिकार्ड लिये जा चुके है। परन्तु इसके पश्चात भी विपक्षी क्रम 07 चांन्दी बैवा नन्दा लुहार के देहान्त उपरान्त वादी ने पुनः मृतक चांन्दी लुहार का नाम वादपत्र से डिलीट किये जाने के अनुरोध के बजाय मृतक चान्दी लुहार के विरासत के तौर पर मृतक नन्दा लुहार के पुत्र मांगु व देबीलाल लुहार का नाम संशोधित टाईटल में पुनरावृति करते हुए दुबारा त्रूटीपूर्ण अंकित कर दिया गया है। इन उपरोक्त त्रुटियों के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा वादी संख्या 01

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम अह हुक्म

को कई मर्तबा स्मरण कराया जाता रहा है, किन्तु वादी संख्या 01 बजाय के कोई विधिक प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम के इन दोषयुक्त दस्तावेजात की सम्यक पूर्ति कर सके, स्वंय ही कानूनी अज्ञानता के कारण भूल दर भूल करता चला आ रहा है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादपत्र में विपक्षी द्वारा अवगत कराई गई कथित त्रूटी पत्रावली को देखने से सिद्ध होती है, एंव इस प्रकार की गलती का पुष्टीकरण वादी संख्या 01 ने भी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 03 व 151 जा.दी. के प्रस्तुत कर, कर दिया है, जो कत्ई क्षम्य योग्य नही है।

अतः वादीगण का वादपत्र, वादी पक्ष की बाध्यात्मक गैरअनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)